

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11639 / ३९०।

दिनांक :- 19-07-19

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री रीना मीणा [लिंक न. 11639] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, विधि विभाग, बूंदी - [25942] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 29/07/2017 से 29/07/2017 तक 1 दिवस

दिनांक 14/10/2017 से 27/10/2017 तक 14 दिवस

दिनांक 31/07/2018 से 11/10/2018 तक 73 दिवस

कुल 88 दिवस

उक्त कुल 88 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री रीना मीणा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11639 / ३९०।

दिनांक :- 19-07-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, विधि विभाग, बूंदी
2. कोषाधिकारी बूंदी
3. श्री /श्रीमती / सुश्री रीना मीणा [11639] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, विधि विभाग, बूंदी
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)